

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 26 (4) आशा-सहयोगिनी/आईईसी/आईसीडीएस/2015/ 111122  
क्रमांक :-एफ 21(0) आशा सहयोगिनी/15 days training/2016-17/ 13219

जयपुर, दिनांक: 25-07-2017  
दिनांक: 25-07-17

### परिपत्र

(आशा-सहयोगिनीका मानदेय सेवा पर चयन करने, हटाने एवं अवकाश आदि अन्य विविध मामलों की प्रक्रिया)

आशा-सहयोगिनीके मानदेय सेवा पर चयन, सेवा से पृथकीकरण एवं अवकाश आदि प्रकरणों के लिए समय-समय पर प्रसारित दिशा-निर्देश/परिपत्रों के अतिक्रमण में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

#### 1. मानदेय सेवा में चयन

##### (A) ग्रामीण क्षेत्र

- (i) मानदेय सेवा कर्मियों के चयन हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारीद्वारा परियोजना में रिक्तियों का निर्धारण करने के लिए तत्समय रिक्त पदों के साथ आगामी तीन माह में मानदेय सेवा से सेवानिवृत्त के फलस्वरूप होने वाले रिक्त स्थानों को भी शामिल किया जाकर केन्द्रवार रिक्तियों का निर्धारण किया जाएगा एवं उक्त रिक्तियों की सूचना 25 दिसम्बर, 25 मार्च, 25 जून एवं 25 अगस्त तक उप निदेशक कार्यालय में विज्ञप्ति जारी करने हेतु प्रेषित की जायेगी। उप निदेशक द्वारा जिले में केन्द्रवार रिक्तियों को भरने हेतु ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी से प्राप्त सूचना का अन्य आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों (कार्यकर्ता व सहायिका) के साथ संकलन कर प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, अप्रैल, जुलाई, सितम्बर माह की 01 तारीख तक एक स्थानीय समाचार पत्र में सभी प्रकार के मानदेय पदों हेतु एक साथ विज्ञप्ति जारी की जायेगी। विज्ञप्ति में मानदेय पदों के लिए निर्धारित योग्यता का विवरण अंकित करते हुए यह स्पष्ट किया जायेगा कि आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। विज्ञप्ति में कार्यालय में आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि एवं संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख अनिवार्यतः किया जाए। साथ ही विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया जाए कि एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें संशोधन अथवा अनुलग्नक संलग्न किये जाने की अनुमति नहीं होगी। विज्ञप्ति में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय की ई-मेल आई.डी. भी दी जायेगी। इस विज्ञप्ति की प्रतिलिपि उप निदेशक द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, विकास अधिकारियों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों तथा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजी जायेगी।
- (ii) विज्ञप्ति की एक प्रति सम्बन्धित उप निदेशक द्वारा सभी अधीनस्थ परियोजनाओं की रिक्तियों का संकलन कर निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जाएगी।
- (iii) ग्राम सभा के माध्यम से मानदेय कर्मियों के चयन हेतु जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा ग्राम सभा आयोजन करने हेतु सम्बन्धित विकास अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा। विकास अधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत में ग्राम सभा आयोजन का आदेश प्रसारित किया जायेगा। ग्राम सभा के लिए तिथि सामान्यतः 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या विशेष ग्रामसभा (24 अप्रैल) होगी। यह आदेश विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस के अंदर-अंदर जारी हो जाना चाहिए। उक्त आदेश में यह स्पष्ट किया जायेगा कि मानदेय कर्मियों का चयन आवश्यक रूप से ग्राम सभा के एजेण्डा में रखवाया जायेगा।

प्राप्त आवेदन पत्रों पर आगामी ग्राम सभा में आवश्यक रूप से विचार कर निर्णय किया जायेगा। ग्राम सभा में नियमानुसार चयन सुनिश्चित करने के लिए विकास अधिकारी द्वारा ग्राम सभा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा स्वयं एवं सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षकया कार्यालय कार्मिक द्वारा वरीयता सूची एवं आवेदन पत्रों के साथ ग्रामसभा में उपस्थित होकर नियमानुसार चयन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(iv) संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विज्ञप्ति की प्रति तथा ग्राम सभा आयोजन की तिथि की सूचना ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर एवं सम्बन्धित आंगवाबाड़ी केन्द्र पर चस्पा की जायेगी। उक्त की पालना सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक द्वारा कराई जायेगी। ग्राम पंचायत उक्त पद रिक्ति तथा ग्राम सभा के दिनांक के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करेगी। इसके साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र के पंचायत समिति के सदस्य को भी ग्राम सभा में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

(v) आवेदन परिशिष्ट 'अ' पर दिये गये प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः विज्ञप्ति में दी गई अन्तिम तिथि तक जमा करा सकेगी। आवेदन जमा कराने की अन्तिम तिथि सामान्यतः विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिवस के बाद की होगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी को ई-मेल द्वारा भी आवेदन भेजा जा सकेगा, जिसके साथ आवेदन पत्र तथा आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति स्कैन कर भेजी जायेगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा इस परिपत्र के साथ संलग्न चयन हेतु नूल्यांकन प्रपत्र "परिशिष्ट-बी" के अनुसार दस्तावेजों की प्राथमिक जाँच उपरान्त मापदण्ड अनुसार अंक देकर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में अधिकतम आयु वाली महिला को वरीयता सूची में उच्च स्थान दिया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उक्त वरीयता सूची एवं आवेदन पत्रों की प्रतिलिपि को ग्राम सभा के स्थाई एजेण्डा में शामिल करने हेतु पंचायत समिति में सम्बन्धित माह की 20 तारीख तक प्रेषित की जायेगी। विकास अधिकारी द्वारा उक्त वरीयता सूची एवं आवेदन पत्रों को संबंधित ग्रामसभा में रखा जाना सुनिश्चित कराया जायेगा। ग्रामसभा द्वारा स्थानीयता की पुष्टि उपरान्त सर्वाधिक योग्य महिला के चयन का अनुमोदन किया जाएगा।

(vi) बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में संबंधित कर्मचारी आवेदन (मय संलग्नक) प्राप्ति की रसीद आवेदनकर्ता को अवश्य देंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों का रिकार्ड रखा जाना आवश्यक होगा।

(vii) ग्राम सभा द्वारा प्राप्त वरीयता सूची का अनुमोदन किया जायेगा एवं वरीयता सूची में से विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप योग्यतम महिला का चयन कर चयन प्रस्ताव को प्रमाणित प्रति के साथ ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी को चयन की सूचना जारी करने हेतु प्रेषित की जायेगी।

(viii) पद रिक्ति की विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ग्राम पंचायत द्वारा 2 माह की समयावधि या 1 ग्राम सभा आयोजन में पूर्ण नहीं की जाती है तो बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उक्त वरीयता सूची एवं आवेदन पत्रों को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के आदेश संख्या एफ. 6 (34)प्र.सु/अनु-3 /2013 दिनांक 19.9.2013 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति को उक्त समय अवधि पूर्ण होने के 15 दिवस में चयन सम्बन्धित समस्त प्रकरण प्रस्तुत कर चयन करवाया जायेगा, जिसमें उपखण्ड अधिकारी, सम्बन्धित पंचायत समिति प्रतिनिधि, खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड स्तरीय चिकित्सा प्रतिनिधि (बी.सी. एम.ओ./चि.अ.), खण्ड स्तरीय शिक्षा प्रतिनिधि (बी.ई.ओ.), खण्ड कृषि प्रसार अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य हैं। जिला उप निदेशक का यह उत्तर दायित्व होगा कि सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 75 दिन में पूर्ण हो जाये।

**(B) शहरी क्षेत्र**

(i) शहरी क्षेत्र में चयन का कार्य निम्न समिति द्वारा सम्पन्न किया जावेगा:-

1	उप खण्ड अधिकारी/आयुक्त (निगम/परिषद)	अध्यक्ष
2	संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य सचिव
3	संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4	संबंधित अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका/आयुक्त (निगम/परिषद) द्वारा नामित कोई एक अधिकारी	सदस्य
5	संबंधित वार्ड पार्षद	सदस्य
6	सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक	सदस्य

शहरी क्षेत्रों से संबंधित बाल विकास परियोजना में मानदेय सेवा कर्मियों के लिए चयन कार्य हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा शहरी क्षेत्रों में रिक्तियों का निर्धारण करने के लिए तत्समय रिक्त पदों के साथ आगामी तीन माह में मानदेय सेवा से सेवानिवृत्त के फलस्वरूप होने वाले रिक्त स्थानों को भी शामिल किया जाकर केन्द्रवार रिक्तियों का निर्धारण किया जाएगा एवं उक्त रिक्तियों की सूचना 25 दिसम्बर, 25 मार्च, 25 जून एवं 25 अगस्त तक उप निदेशक, मबावि कार्यालय में विज्ञप्ति जारी करने हेतु प्रेषित की जायेगी। जिले में केन्द्रवार रिक्तियों को भरने हेतु उप निदेशक, मबावि द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रेषित संकलित सूचना के अनुसार जनवरी, अप्रैल, जुलाई, सितम्बर माह की 01 तारीख को ग्रामीण क्षेत्र की रिक्तियों की विज्ञप्ति के साथ शामिल करते हुए एक स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी की जायेगी। मानदेय पदों के लिए निर्धारित योग्यता का विवरण अंकित करते हुए यह स्पष्ट किया जायेगा कि आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में सम्बन्धित माह की 15 तारीख तक मय आवश्यक दस्तावेज जमा कराये जा सकते हैं। विज्ञप्ति में संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख अनिवार्यतः किया जाए। साथ ही विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया जाए कि एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें संशोधन अथवा अनुलग्नक संलग्न किये जाने की अनुमति नहीं होगी। विज्ञप्ति में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय की ई-मेल आई.डी. भी दी जायेगी। जारी की गई विज्ञप्ति की एक प्रति संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी (निगम/परिषद/नगर पालिका) एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी दी जाएगी। उक्त विज्ञप्ति की प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय द्वारा नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के नोटिस बोर्ड एवं सम्बन्धित आंगवाबाड़ी केन्द्र पर चस्पा की जायेगी। उक्त की पालना सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक द्वारा कराई जायेगी। परियोजना कार्यालय में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों (मय संलग्नकों)की प्राप्ति रसीद आवेदक को प्रदान किया जाना आवश्यक होगा तथा प्राप्त आवेदन पत्रों का रिकार्ड रखा जाना आवश्यक होगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को इस परिपत्र के साथ संलग्न चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र "परिशिष्ट-बी" के अनुसार दस्तावेजों की प्राथमिक जाँच उपरान्त मापदण्ड अनुसार अंक देकर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में अधिकतम आयु वाली महिला को वरीयता सूची में उच्च स्थान दिया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उक्त वरीयता सूची एवं आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 15 दिवस में चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा, जिसके आधार पर चयन समिति द्वारा स्थानीयता की पुष्टि उपरान्त प्राप्त वरीयता सूची का अनुमोदन किया जायेगा एवं वरीयता सूची में से विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप योग्यतम महिला के चयन का अनुमोदन किया जाएगा। चयन समिति की अनुशंसा परिशिष्ट 'स' में भरकर बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय को चयन की सूचना जारी करने हेतु प्रेषित की जायेगी।

- (ii) पद रिक्ति की विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया शहरी चयन समिति द्वारा 2 माह की समयावधि में पूर्ण नहीं की जाती है, तो बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जिला उप निदेशक को उक्त समय अवधि पूर्ण होने के 15 दिवस में चयन सम्बन्धित समस्त प्रकरण प्रस्तुत कर चयन करवाया जायेगा। जिला उप निदेशक का यह उत्तरदायित्व होगा कि सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया विज्ञप्ति जारी होने के 75 दिन में पूर्ण हो जाये।

2. (A) चयन हेतु वांछित पात्रता:-

- (i) स्थानीय निवासी होना- ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए। आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जाना अनिवार्य है। शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए उसी वार्ड की महिला द्वारा आवेदन नहीं किये जाने की दशा में आंगनबाड़ी केन्द्र के निकटतम वार्ड की महिला के आवेदन पर भी विचार किया जा सकता है।
- (ii) वैवाहिक स्थिति- महिला का विवाहित होना आवश्यक है।
- (iii) शैक्षणिक योग्यता -आशा-सहयोगिनी हेतु न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- (iv) आयु - आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला को अधिकतम आयु में 5 वर्ष तथा विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट देय होगी। (विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को)
- (v) श्रेणीवार प्राथमिकता परिशिष्ट 'ब' पर दिए गए मूल्यांकन प्रपत्र में वर्णित मापदण्ड अनुसार देय होगी।

जिन केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जानी चाहिए।

(B) शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता-

(अ) शहरी क्षेत्र-

शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं में आशा-सहयोगिनी को शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता किसी भी स्थिति में देय नहीं होगी।

(ब) ग्रामीण क्षेत्र-

महिलाओं में शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थिति वाले जिले 1. बाडमेर 2. जैसलमेर 3. जालौर 4. प्रतापगढ़ 5. सिरोही 6. टोंक 7. उदयपुर में स्थित ग्रामीण परियोजनाओं में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला नहीं मिलने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता देते हुए आशा-सहयोगिनी हेतु 8वीं पास महिला का चयन किया जा सकता है। उक्त चयन के लिए ग्राम सभा के प्रस्ताव में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की कोई महिला चयन हेतु उपलब्ध नहीं है।

(C) विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप चयन नहीं होने पर अपील -

1. यदि ग्राम सभा अथवा शहरी चयन समिति द्वारा उपयुक्त पात्रताधारी महिला का चयन नहीं किया जाता है।
2. यदिग्रामसभा अथवा शहरी चयन समिति ऐसी महिला का चयन प्रस्ताव बाल विकास परियोजना अधिकारी को देती है, जो वांछित पात्रता एवं वरीयता क्रम में सर्वथा उपयुक्त नहीं है एवं विभागीय नियमानुसार नहीं है।
3. यदि ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा ग्रामसभा अथवा शहरी चयन समिति से प्राप्त प्रस्ताव का अतिक्रमण कर चयन आदेश जारी किये हों-  
तो ऐसी स्थिति में कोई भी प्रभावित पक्ष अथवा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी 1 माह के भीतर अधोनिर्दिष्ट प्राधिकारी के सम्मुख अपील प्रकरण बनाकर प्रस्तुत करेंगे। प्रथम अपील के निस्तारण के 1 माह के अन्दर द्वितीय अपील की जा सकेगी। इसके लिए परियोजना क्षेत्रानुसार अपील प्राधिकारी एवं अपील निस्तारण की अवधि निम्न प्रकार होंगी :-

क्र. सं.	क्षेत्र	अपील प्राधिकारी		निस्तारण अवधि	
		प्रथम अपील	द्वितीय अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	ग्रामीण	जिला उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	01माह	01 माह
2	शहरी	अतिरिक्त जिला कलक्टर	अतिरिक्त निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ	01माह	01 माह

परन्तु विशिष्ट परिस्थिति में किसी प्रकरण में राज्य सरकार को किसी भी स्तर पर अनियमित कार्यवाही की शिकायत प्राप्त होती है तो आदेश जारी होने के 90 दिवस के अंदर राज्य सरकार चयन से संबंधित प्रकरणों को मगँवाकर परीक्षण कर उचित आदेश प्रसारित कर सकती है। इस संबंध में प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा।

3. मानदेय सेवा एवं प्रशिक्षण

- (i) आशा-सहयोगिनी राज्य कर्मचारी नहीं होकर मानदेय सेवाकर्मी है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इनको आंगनबाडी केन्द्रों पर दी जा रही सेवाओं के लिए निर्धारित दरों के अनुसार इन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आशा सहयोगिनियों द्वारा किये जा रहे कार्यों के बदले प्रेरक राशि का भुगतान किया जाता है। ये पूर्णतः अस्थाई एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली कार्यकर्ता है। इस बाबत चयन आदेश में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
- (ii) आशा सहयोगिनियों हेतु चयन, स्वीकृति आदेश हेतु जारी किये जाने वाले आदेश, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाना चाहिये। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आशा सहयोगिनियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे।
- (iii) आशा-सहयोगिनी को आधारभूत प्रशिक्षण में नियमानुसार क्रमशः 'ए', 'बी' 'सी' 'डी' ग्रेड प्राप्त करने के पश्चात A व B ग्रेड प्राप्त अभ्यर्थी के लिये ही कार्यालय आदेश जारी किये जावेंगे। कार्यालय आदेश में आशा-सहयोगिनी की जन्मतिथि का दसवीं एवं आठवीं की अंक तालिका/स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C)के आधार पर शब्दों एवं अंको में अंकन किया जाना अनिवार्य है। कार्यालय आदेश के उपरान्त ही केन्द्र पर कार्य प्रारम्भ करने पर मानदेय तथा प्रेरक

राशि प्राप्त करने का लाभ देय होगा। किसी चयनित महिला के 'सी' या 'डी' ग्रेड आने पर उसे एक अतिरिक्त अवसर देते हुए पुनः आधारभूत प्रशिक्षण में भेजा जा सकेगा। यदि चयनित महिला को पुनः 'सी' या 'डी' ग्रेड प्राप्त होती है तो इसके उपरान्त कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जायेगा।

- (iv) चयनित महिला द्वारा आधारभूत प्रशिक्षण के लिए नामांकित होने के बावजूद भी यदि प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया जाता है तो उसे एक अवसर और देते हुए अगले बैच के लिए नामांकित किया जायेगा और इसकी सूचना संबंधित चयनित महिला को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दस्ती/रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाएगा। इसके उपरान्त भी यदि उक्त महिला प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं होती है तो उसका चयन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जायेगा तथा चयन प्रक्रिया के दौरान बनाई गई वरीयता सूची में द्वितीय वरीयता वाली पात्र महिला को अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि द्वितीय वरीयता प्राप्त महिला द्वारा भी मानदेय सेवा पद के लिए अनिच्छा जाहिर की जाती है तो तृतीय वरीयता प्राप्त महिला को अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि तीसरी वरीयता प्राप्त महिला द्वारा भी प्रशिक्षण में उपस्थिति नहीं दी जाती है तो फिर चयन सूची को निरस्त कर दोबारा चयन प्रक्रिया की जाएगी। पुनः चयन प्रक्रिया में उक्त महिलाएं आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगी। उक्त समस्त कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाएगी।
- (v) ऐसे पूर्व मानदेय कार्मिक जिनका दुबारा चयन उसी मानदेय पद हेतु होता है तो उन्हें पुनः आधारभूत प्रशिक्षण एवं मॉड्यूल 6 व 7 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण, का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- (vi) किसी भी परिस्थिति में संयुक्त परिवार की महिलाएं यथा देवरानी- जिठानी, सास-बहू, ननद-भाभी का एक ही केन्द्र के लिए मानदेय सेवा में चयन नहीं किया जायेगा।
- (vii) आशा-सहयोगिनी मानदेय सेवाकर्मी है। अतः इनका स्थानान्तरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकेगा।

#### 4. मानदेय सेवा से पृथक्करण-

आशा-सहयोगिनीका मानदेय से पृथक्करण निम्नलिखित स्थितियों में किया जा सकेगा :-

- (i) आशा-सहयोगिनी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मानदेय सेवाएँ आवश्यक रूप से समाप्त कर दी जावेगी।
- (ii) बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रत्येक कलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी को उन सभी आशा-सहयोगिनीकी सूची जारी की जाएगी जिनकी मानदेय सेवा उसी कलेण्डर वर्ष में 60 वर्ष पूर्ण करने पर समाप्त की जायेंगी। इस बारे में आशा-सहयोगिनी को सूचित करने की जिम्मेदारी संबंधित महिला पर्यवेक्षक की होगी।
- (iii) यदि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी कोई आशा-सहयोगिनी कार्यरत पाई जाती है तो संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे। इसके साथ ही संबंधित आशा-सहयोगिनी से 60 वर्ष की आयु से अधिक अवधि में प्राप्त मानदेय की राशि की वसूली की जाएगी।
- (iv) यदि आशा-सहयोगिनी किसी प्रकार के दुराचरण को दोषी पायी जाती है या किसी न्यायालय द्वारा दोषी पाई जाती है तो उसे मानदेय से पृथक् किया जा सकेगा।
- (v) जिला स्तरीय अधिकारी, निदेशालय के अधिकारियों अथवा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर बिना किसी युक्ति युक्त कारण के अनुपस्थित पाये जाने व गम्भीर अनियमितता पर संक्षिप्त जांच उपरान्त मानदेय कर्मियों को दोषी पाये जाने पर मानदेय सेवा से पृथक् करने की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में संबंधित आशा-सहयोगिनी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, संक्षिप्त जांच उपरान्त, संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सेवा से पृथक् किये जाने का निर्णय लिया जाएगा। निर्णय से

संबंधित निरीक्षणकर्ता को भी आवश्यक रूप से सूचित किया जावेगा। मानदेय सेवा से पृथक की गई आशा-सहयोगिनी 1 माह की अवधि में अपनी अपील संबंधित अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकती है।

- (vi) आशा-सहयोगिनी को ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी/महिला पर्यवेक्षक/PHC हैल्थ सुपरवाइजर अथवा परियोजना स्तरीय अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा अथवा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा दोषी पाया जाता है तो ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी/महिला पर्यवेक्षक/PHC हैल्थ सुपरवाइजर द्वारा उस केन्द्र की विशेष रूप से जाँच व निगरानी रखी जावेगी। इसी के तहत संबंधित आशा-सहयोगिनी को एक-एक माह के अन्तराल पर कार्य में अपेक्षित सुधार हेतु दो नोटिस दिये जायेंगे। इसके उपरान्त भी आशा-सहयोगिनी के कार्य में सुधार नहीं होता है तो संबंधित मानदेयकर्मी को परियोजना अधिकारी द्वारा उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्ताव भेजे जायेंगे तथा उप निदेशक तथ्यों पर समुचित विचार कर आदेश पारित करेंगे। अपील के निस्तारण तक संबंधित आशा-सहयोगिनी के स्थान पर नवीन चयन नहीं किया जाएगा किन्तु अस्थाई व्यवस्था की जा सकती है।
- (vii) कोई आशा-सहयोगिनी जो पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु दो बार नामांकित होने के बावजूद प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होती है उसे दोनों अनुपस्थिति पर एक-एक नोटिस देने के पश्चात् मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
- (viii) किसी आशा-सहयोगिनी के बिना किसी सूचना/अनुमति के अनुपस्थित रहने पर 1-1 माह के अन्तराल में 2 नोटिस दिये जायेंगे। दूसरे नोटिस के 15 दिवस के अन्दर उपस्थित नहीं होने पर संबंधित कर्मी को मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
- (ix) शिकायत/अनियमितता के कारण मानदेय सेवा से पृथक की गई महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में पुनः मानदेय सेवा में नहीं लिया जा सकेगा। किन्तु किसी भी कारणवश स्वेच्छा से त्याग पत्र देने वाली आशा-सहयोगिनी के अनुभव के अंकों को मूल्यांकन प्रपत्र में जोड़ा जाएगा।
- (x) राज्य सरकार के निर्णयानुसार परियोजना के समापन, पुर्नगठन अथवा विलय के फलस्वरूप आँगनबाड़ी केन्द्र बन्द कर दिया जाता है तो उस केन्द्र पर कार्यरत आशा-सहयोगिनी की सेवाएँ स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी। इस कारण उन्हें किसी भी विधिक कार्यवाही का अधिकार नहीं होगा।
- (xi) उपरोक्त बिन्दु संख्या (vi) में उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य परिस्थितियों में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा मानदेय सेवा से पृथकीकरण आदेश जारी किये जायेंगे। उक्त आदेश में यह भी उल्लेख करना होगा कि व्यथित आशा-सहयोगिनी किस स्तर पर तथा कितने समय में अपील कर सकती है।
- (xii) अपील करने के लिए निर्धारित अवधि अथवा अपील होने पर उसके निस्तारण होने तक संबंधित आशा-सहयोगिनी के स्थान पर नवीन चयन नहीं किया जायेगा।

मानदेय सेवा से पृथक किये गये ऐसे मानदेयकर्मी 1 माह की अवधि में अपना अभ्यावेदन (अपील) तथा प्रथम अपील की निस्तारण तिथि से 1 माह की अवधि में द्वितीय अपील निम्नानुसार सम्बन्धित अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेंगे :-

(I) ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारीद्वारा जारी पृथक्करण आदेश की स्थिति में:-

क्र. सं.	क्षेत्र	अपील प्राधिकारी		निस्तारण अवधि	
		प्रथम अपील	द्वितीय अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	ग्रामीण	जिला उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	01 माह	01 माह
2	शहरी	अतिरिक्त जिला कलक्टर	अतिरिक्त निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ	01 माह	01 माह

(II) बिन्दु संख्या (vi) के अनुसार जिला उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ द्वारा जारी पृथक्करण आदेश की स्थिति में:-

क्र. सं.	क्षेत्र	अपील प्राधिकारी		निस्तारण अवधि	
		प्रथम अपील	द्वितीय अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	ग्रामीण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापन स्थाई समिति	01 माह	01 माह
2	शहरी	अतिरिक्त जिला कलक्टर	अतिरिक्त निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ	01 माह	01 माह

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप प्रभावित पक्ष एवं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर गुणावगुण के आधार अख्यापक आदेश (Speaking Order) जारी किया जावे।

परन्तु विशिष्ट परिस्थिति में किसी प्रकरण में राज्य सरकार को किसी स्तर पर अनियमित कार्यवाही की शिकायत प्राप्त होती है तो आदेश जारी होने के 90दिवस के अंदर राज्य सरकार नियुक्ति/पृथक्करण आदि से संबंधित प्रकरणों को मँगवाकर परीक्षण कर उचित आदेश प्रसारित कर सकती है। इस संबंध में प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा।

#### 5. आशा-सहयोगिनीके उच्च शैक्षणिक अध्ययन हेतु अनुमति

- कोई आशा-सहयोगिनीजो प्राईवेट/दूरस्थ उच्च अध्ययन हेतु स्वीकृति चाहती है तो ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनुमति दी जा सकती है। विभाग द्वारा अध्ययन करवाया जाता है तो आशा को इसकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
- आशा-सहयोगिनीको किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के नियमित अध्ययन/प्रशिक्षण (विभागीय प्रशिक्षण के अतिरिक्त) के लिए अवकाश तथा अनुमति देय नहीं होगी।
- केवल परीक्षा देने हेतु परीक्षा दिवसों का अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि आशा-सहयोगिनी के किसी भी प्रकार के अवकाश लेने से आईसीडीएस सेवाओं की गतिविधियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
- यदि कोई आशा-सहयोगिनीबिना अनुमति के किसी भी प्रकार के उच्च अध्ययन/प्रशिक्षण (जैसे बीएड, एसटीसी, एएनएम प्रशिक्षण आदि) के लिए प्रस्थान कर जाती है तो, उसे तत्काल मानदेय सेवा से पृथक कर दिया जाएगा तथा उसके स्थान पर अन्य आशा-सहयोगिनी का चयन किया जायेगा।

#### 6. आशा-सहयोगिनीके चुनाव में भाग लेना-

- आशा-सहयोगिनीद्वारा शहरी स्थानीय निकाय /पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाग लेने से पूर्व त्याग पत्र दिया जाना आवश्यक होगा। यदि त्याग पत्र दिए बिना चुनाव में भाग लिया जाता है तो मतदान की तिथि से उक्त आशा-सहयोगिनीको सेवा से पृथक समझा जाएगा। इस संबंध में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारीद्वारा सेवा से पृथक करने का आदेश प्रसारित किया जाएगा। परन्तु यदि वह चुनाव में पराजित हो जाती है तो वह पुनः चयनित होने के लिए आवेदन हेतु पात्र होगी। उसे अनुभव के अंकों का लाभ मूल्यांकन प्रपत्र के अनुसार दिया जाएगा तथा उसकी पात्रता (यथा आयु, स्थानीयता आदि) की गणना नवीन आवेदन के समय नए सिरे से की जाएगी साथ ही आगे उसकी मानदेय सेवा अनुभव की गणना भी नवीन चयन की दिनोंक से मान्य होगी।
- यदि कोई आशा-सहयोगिनीकिसी शहरी स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्थाओं के लिए किसी पद पर मनोनीत की जाती है, तब भी उसे मनोनयन के 1 माह के अन्दर किसी भी एक पद से त्याग पत्र देना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 माह पूर्ण होने के पश्चात् उसे मानदेय सेवा से स्वतः पृथक समझा



जायेगा तथा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी इस संबंध में पृथक्करण आदेश जारी करेंगे।

## 7. मानदेय कार्मिकों को देय अवकाश

### (अ) प्रसूति अवकाश

- (i) इस अवकाश की अधिकतम अवधि 180 दिवस होगी। प्रसूति अवकाश आशा-सहयोगिनी द्वारा गर्भावस्था के 8वें माह से लिया जा सकता है।
- (ii) प्रसूति अवकाश सुविधा अधिकतम दो बार देय होगी।
- (iii) प्रसूति अवकाश की सुविधा उन्हीं आशा-सहयोगिनी को देय होगी जिनके दो से कम जीवित सन्तान हैं।
- (iv) आशा-सहयोगिनी द्वारा प्रसूति अवकाश के लिए किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी संभावित प्रसवतिथि (इडीडी) अथवा बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र/प्रसूता के डिस्चार्ज टिकिट की प्रतिलिपि के साथ साधारण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (v) प्रसूति अवकाश की अवधि का मानदेय भुगतान अवकाश की अवधि के दौरान नियमित रूप से किया जावे।
- (vi) प्रसूति अवकाश के दौरान इन्हें पूर्ण मानदेय का भुगतान किया जावेगा जो कि वह प्रसूति अवकाश से पूर्व प्राप्त कर रही थी।

### (ब) गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश :-

- (i) यह अवकाश घटना के दिवस से अधिकतम 45 दिवस का होगा।
- (ii) प्रसूति अवकाश के अतिरिक्त यह सुविधा एक ही बार देय होगी।
- (iii) इस अवकाश की स्वीकृत के लिए आशा-सहयोगिनी पर जीवित बच्चों की संख्या का उपबन्ध प्रभावी नहीं होगा।
- (iv) यह अवकाश किसी पंजीकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है।
- (v) गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश की अवधि का मानदेय भुगतान अवकाश की अवधि के दौरान नियमित रूप से किया जाएगा।
- (vi) गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश के दौरान इन्हें पूर्ण मानदेय का भुगतान किया जावेगा जो कि वह गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश से पूर्व प्राप्त कर रही थी।

आशा-सहयोगिनी के प्रसूति/गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश पर जाने की स्थिति में केन्द्र की गतिविधियां प्रभावित नहीं हो, इसे ध्यान में रखकर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था कर केन्द्र का संचालन सुचारू रखा जावेगा।

### (स) आशा-सहयोगिनी को देय राजकीय अवकाश -

1. ईदुलफितर (चांद से)	1 दिवस
2. होली दहन	1 दिवस
3. धुलण्डी	1 दिवस
4. ईदुलजुहा (चांद से)	1 दिवस
5. रामनवमी	1 दिवस
6. रक्षा बन्धन	1 दिवस
7. जन्माष्टमी	1 दिवस
8. विजय दशमी (दशहरा)	1 दिवस
9. दीपावली	1 दिवस
10. गोवर्धन पूजा	1 दिवस
11. क्रिसमिस	1 दिवस
कुल	11 दिवस

उक्त अवकाशों के अतिरिक्त, जिला कलेक्टर द्वारा घोषित दो स्थानीय अवकाश भी देय होंगे।


**(द) आकस्मिक अवकाश :-**


इन्हें वर्षभर में कुल 20 आकस्मिक अवकाश मानदेय सहित देय होंगे। एक बार में अधिकतम 10 दिवस का आकस्मिक अवकाश लिया जा सकेगा। आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति महिला पर्यवेक्षक/PHC हैल्थ सुपरवाइजर द्वारा प्रदान की जा सकेगी, जिसकी सूचना आशा-सहयोगिनीद्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच को भी दी जाएगी। आशा-सहयोगिनी को विशेष परिस्थिति के सिवाय अन्य कार्य के लिए एक साथ 5 दिवस से अधिक का अवकाश नहीं दिया जायेगा।

**8. आशा-सहयोगिनी पर लागू अन्य प्रावधान-**

- (i) आशा-सहयोगिनी को राजकीय कार्य से बैठक/प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेने पर वास्तविक बस यात्रा किराया देय होगा।
- (ii) आशा-सहयोगिनी की उपस्थिति शहरी क्षेत्रों में महिला पर्यवेक्षक/PHC हैल्थ सुपरवाइजर एवं ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच द्वारा प्रमाणित कर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारीको प्रस्तुत की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में विशेष परिस्थिति में यदि मानदेय कर्मी द्वारा उपस्थिति पेश करने के 7 दिवस में सरपंच द्वारा उपस्थिति प्रमाणित नहीं होती है तो संबंधित महिला पर्यवेक्षक/PHC हैल्थ सुपरवाइजर से प्रमाणित करवाई जा सकेगी।
- (iii) आशा-सहयोगिनी का मानदेय परियोजना कार्यालय से सीधा बैंक खाते में ही जमा करवाया जायेगा।
- (iv) आंगनबाड़ी केन्द्रों का कार्य समय निम्नानुसार होगा जो आवश्यकता के अनुरूप बदला भी जा सकेगा :-

आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन समय	
ग्रीष्मकालीन (1 अप्रैल से 30 सितम्बर)	08:00 बजेसे 12:00 बजे तक (4 घण्टे)
शरदकालीन (1 अक्टूबरसे 31 मार्च)	10:00 बजे से 2:00 बजे तक (4 घण्टे)

  
शासन सचिव,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क.  
एवं मिशन निदेशक, एनएचएम

  
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ26(4)आशा-सहयोगिनी/आईसी/आईसीडीएस/2015/


क्रमांक :-एफ 210 आशा सहयोगिनी/15 days raining/2016-17/13209


प्रतिलिपीनिम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
7. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव एवं निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग।
8. निदेशक-आरसीएच।

जयपुर, दिनांक: 25-07-2017  
दिनांक: 25-07-17

6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
7. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव एवं निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग।
8. निदेशक-आरसीएच।
9. समस्त जिला कलेक्टर/सीईओ।
10. जोन निदेशक, समस्त संभाग को भेजकर लेख है कि आदेश की पालना सुनिश्चित करें।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त को भेजकर लेख है कि संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को अपने स्तर से परिपत्र से अवगतकराने का श्रम करें।
12. उपनिदेशक (महिला एवं बाल विकास) समस्त को भेजकर लेख है कि संबंधित महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को अपने स्तर से अवगतकराने का श्रम करें।
13. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटरसेल, आईसीडीएस को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/समस्त जिला आशा समन्वयक को भेजकर लेख है कि आदेश की पालना सुनिश्चित करें।
15. सर्वर रूम, एनएचएम।

  
शासन सचिव,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क.  
एवं मिशन निदेशक, एनएचएम

  
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

आशा-सहयोगिनीके पद हेतु आवेदन-पत्र

(आवेदन दो प्रति में भरे)

बाल विकास परियोजना : ..... जिला : .....

ग्राम पंचायत/शहरी निकाय का नाम .....

राजस्व ग्राम/वार्ड .....

ऑगनबाड़ी केन्द्र का नाम .....

(जिसके लिए आवेदन किया है)

पद जिसके लिए आवेदन किया गया है .....

1. आवेदक का नाम .....

2. पति का नाम .....

3. पिता का नाम .....

4. पत्र व्यवहार का पता .....

5. सम्पर्क फोन नम्बर: .....

6. जन्म तिथि .....

7. आयु वर्ष ..... माह .....

(विज्ञप्ति जारी करने की तिथि पर)

8. जाति .....

9. वर्ग अनु.जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक/ओ.बी.सी/सामान्य (टिक करें)

10. वैवाहिक स्थिति विवाहित/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा (टिक करें)

11. विवाह की तिथि .....

12. शैक्षणिक योग्यता का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	उत्तीर्ण कक्षा	विद्यालय/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विशेष विवरण

13. पूर्व में सम्पन्न कार्य अनुभव .....

(जहाँ आवश्यक हो प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)

(अगले पृष्ठ पर जारी).....

14. अन्य योग्यता का विवरण .....  
 .....  
 .....  
 15. आवेदन पत्र प्रस्तुत की तिथि .....

**संलग्न दस्तावेज (सभी दस्तावेजों की स्वच्छ प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी):**

1. अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र
2. सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र
3. मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/वोटर कार्ड
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग/पिछे/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र /ज्योति योजना लाभार्थी होने का प्रमाण पत्र
5. कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
6. बी पी एल कार्ड (यदि लागू हो)

दिनांक .....

हस्ताक्षर(आवेदनकर्ता)

**घोषणा**

1. मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी/सूचनाएं मेरी जानकारी अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं। कोई भी जानकारी नहीं छिपाई है। यह जानकारी/सूचनाएं असत्य अथवा अप्रामाणिक पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त होने पर मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूँगी।
2. मुझे विदित है कि यह पद एक अनदेय आधारित, अस्थायी एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने का पद है।
3. मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मैं एक शौचालय है जिसका नियमित उपयोग किया जाता है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर(आवेदनकर्ता)

इस पत्र को आवेदनकर्ता को दी जाये

**आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद**

श्रीमती ..... पत्नी ..... निवासी ..... से  
 आँगनबाड़ी केन्द्र ..... लिए पद ..... हेतु आवेदन पत्र  
 मय ..... संलग्नक ..... या गया .....  
 दिनांक .....  
 हस्ताक्षर ..... कर्ता



परिशिष्ट 'स'

ग्राम सभा/शहरी चयन समिति/ब्लॉक स्तरीय निगरानी समितिद्वारा आशा-सहयोगिनी पद के लिए अभिशंषा भेजने का प्रपत्र

दिनांक .....

जिले का नाम:- ..... परियोजना का नाम:- .....

ग्राम पंचायत/शहरी निकाय का नाम:- .....

ग्राम सभा/शहरी चयन समिति/ब्लॉक स्तरीय निगरानी समितिद्वारामूल्यांकन प्रपत्र में सर्वाधिक ..... अंक प्राप्त करने वाली आवेदक श्रीमती ..... पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी ..... के नाम की अभिशंषाग्राम सभा/शहरी चयन समिति/ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति की बैठक दिनांक ..... के प्रस्ताव संख्या .....के अनुसारआँगनबाड़ी केन्द्र .....की आशा-सहयोगिनी के मानदेय सेवा पद के लिए की जाती है।

हस्ताक्षर  
(अध्यक्ष)

हस्ताक्षर  
(सदस्य)

हस्ताक्षर  
(सदस्य)

हस्ताक्षर  
(सदस्य)

हस्ताक्षर  
(सदस्य)

हस्ताक्षर  
(सदस्य)

ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आशा-सहयोगिनी के चयन आदेश में निम्न चयन शर्तों का उल्लेख होना चाहिए:-

1. आशा-सहयोगिनी राज्य कर्मचारी नहीं होकर मानदेय सेवाकर्मी हैं। इनके द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जा रही सेवाओं के लिए इन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है। यह पूर्णतः अस्थायी है एवं स्वैच्छिकसेवाभावना से कार्य करने वाली कार्यकर्ता है। इन पर किसी भी प्रकार के राज्य सेवानियमलागू नहीं होंगे।
2. इनके द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित किये गये कर्तव्यों एवं कार्य दायित्वों की पालना अनिवार्य रूप से की जावेगी।
3. आशा-सहयोगिनी को केन्द्र की गतिविधियों का प्रतिमाह का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों में सेक्टरमिटिंग में प्रस्तुत करना होगा। अन्य सामयिक सूचनाएँ भी यथा आवश्यकता प्रस्तुत करनी होगी।
4. विभाग द्वारा विभागीय गतिविधियों का समय-समय पर दिया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जब भी प्रशिक्षण में नामांकित किया जावेगा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करना होगा।
5. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेज गलत व फर्जी पाये गये तो विभाग आपकी मानदेय सेवाएँ समाप्त कर आपको हटा सकता है तथा आपके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।
6. विभाग द्वारा जारी आशा-सहयोगिनी का मानदेय सेवा पर चयन करने, हटाने एवं अवकाश आदि अन्य विविध मामलों की प्रक्रिया संबंधी नवीनतम परिपत्र में पृथकीकरण के प्रावधानों के अन्तर्गत आपको मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
7. चयनित महिला को आदेश जारी करने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर कार्य ग्रहण कर इसकी सूचना संबंधित महिला पर्यवेक्षक/PHC हेल्थ सुपरवाइजर/अद्योहस्ताक्षरकर्ता को दी जानी होगी। कार्यग्रहण प्रतिवेदन संबंधित सरपंच/वार्डपार्षद से अग्रप्रेषित करवाया जावे।
8. आशा-सहयोगिनी प्रत्येक कार्य दिवस को आंगनबाड़ी केन्द्र पर केन्द्र खुलने के समय उपस्थिति दर्ज करायेगी तथा उपस्थिति दर्ज करने के उपरान्त आईसीडीएस व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्य सम्पादन हेतु फील्ड में जायेगी। इस हेतु आशा-सहयोगिनी के लिए पूरे समय आंगनबाड़ी केन्द्र पर रुककर सेवा देने की बाध्यता लागू नहीं होगी।
9. मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन आशा-सहयोगिनी का पूरे समय आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
10. यदि किसी लाभार्थी महिला की चिकित्सा देअभाल/रैफरल की परिस्थिति में साथ जाने पर आशा-सहयोगिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आने में असमर्थ हो तो अपनी पर्यवेक्षक को दूरभाष पर सूचित करेंगी।